


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 218] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 1991/ज्येष्ठ 17, 1913
No. 218] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 1991/JYAISTHA 17, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

ग्रहिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 1991

सा. का. नि. 304(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया
है कि (i) अपरिष्कृत धरगाट संपाक सम्मिश्रण की नियत मात्रा और (ii) क्लोरल
हाइड्रेट औषधियों के उपयोग से मनुष्यों के जोखिम में पड़ने की संभावना है और
यतः लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. संख्या 578 (अ) तारीख 23 जुलाई, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. उक्त अधिसूचना की मारगी में,—

1. क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“16 अघसीसी, सिरदर्द के उपचार के लिए उन विनिर्मितियों से भिन्न जिनमें अगोटिमीन कैफीन, पीछाहर प्रति हिस्टामिन है, अपरिष्कृत अरगोट विनिर्मिति का नियत मात्रा में संयोजन।”

2. क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“43” औषधि के रूप में क्लोरल हाइड्रेट ”।

[संख्या एक्स 11014/9/90-डी.एम.एस. एण्ड पी. एफ. ए]

बलवीर सिंह, संपुक्त सचिव

टिप्पण:—भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 578(अ) तारीख 23-7-1983 का भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग, 2 खण्ड 3(i) में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था :—

1. सा. का. नि. 49(अ) तारीख 31-1-84
2. सा. का. नि. 322 (अ) तारीख 3-5-1984
3. सा. का. नि. 863 (अ) तारीख 22-11-1985
4. सा. का. नि. 700(अ) तारीख 15-6-1988
5. सा. का. नि. 1057 (अ) तारीख 3-11-1988
6. सा. का. नि. 743 (अ) तारीख 10-8-1989
7. सा. का. नि. 999(अ) तारीख 26-12-1990
8. सा. का. नि. 69(अ) तारीख 11-2-1991

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 1991

G.S.R. 304(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of (i) the Fixed dose combination of Crude Ergot preparations and (ii) Chloral Hydrate as a drug are likely to involve risk to human beings and that it is necessary and expedient in the public interest so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26-A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare G.S.R. No.578(E), dated the 23rd July, 1983, namely :—

1. In the Table to the said notification :—

1. for serial number 16 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

16 "Fixed dose combinations of crude Ergot preparations except those containing Ergotamine, Caffeine, analgesics, antihistamines for the treatment of migraine, headaches."

2. After serial number 42 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be added, namely :—

"43. Chloral Hydrate as a drug".

[No. X.11014/9/90-DMS&PFA]

BALBIR SINGH, Jt. Secy.

Note : Government of India, Ministry of Health and Family Welfare notification No. GSR 578(E), dated 23-7-1983 was amended by the following notifications published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) namely :—

1. G.S.R. 49(E), dated 31-1-1984
2. G.S.R. 322(E), dated 3-5-1984
3. G.S.R. 863(E), dated 22-11-1985
4. G.S.R. 700(E), dated 15-6-1988
5. G.S.R. 1057(E), dated 3-11-1988
6. G.S.R. 743(E), dated 10-8-1989
7. G.S.R. 999(E), dated 26-12-1990
8. G.S.R. 69(E), dated 11-2-1991

